न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस।

क्रमांक रीडर/2026/3016 दिनांक – 12.03.26

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मगसिंह पुत्र जोगसिंह जाति राजपूत निवासी चकलानी, कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 नाथूराम चौधरी पुत्र धर्माराम वगैराह जाति जाट निवासी जसदेर धाम के पास, लालाणियों की ढाणी बाडमेर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बावत
दिनांक– 10/03/2026

राजस्व आवेदन संख्या :–992/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चकलानी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 103/10 रकबा 1.7321 हैक्टेयर व खसरा संख्या 35 रकबा 3.7231 हैक्टेयर व खसरा संख्या 79/10 रकबा 10.6108 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक– 12.03.26

क्रमांक :– रीडर/2026/3017–3020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मगसिंह पुत्र जोगसिंह जाति राजपूत निवासी चकलानी, कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण नाथूराम चौधरी पुत्र धर्माराम वगैराह जाति जाट निवासी जसदेर धाम के पास, लालाणियों की ढाणी बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर